MRA AN USIUS The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340] No. 340] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 3, 2005/श्रावण 12, 1927 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 2005/SRAVANA 12, 1927

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 519(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 309(अ) तारीख 30-4-2002 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 1 के स्पष्टीकरण के खण्ड 5 के नीचे सारणी में, अनुपालन की तारीख अर्थात् तुलनपत्र की तारीख से संबंधित स्तम्भ के नीचे मद क के सामने ''31-3-2005'' अंकों के स्थान पर ''31-3-2006'' अंक रखे जाएंगे।

> [फा. सं. 5/29/04-सी.एल.-V] जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2005

G.S.R. 519(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 637A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Law, Justice and Company Affairs, (Department of Company Affairs) published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) vide G.S.R. 309(E) dated 30-4-2002, namely:—

In the said notification, in the Table below clause (5) of Explanation to paragraph 1, under the column relating to Compliance date i.e. "31-3-2005", the figures "31-3-2006" shall be substituted.

[F. No. 5/29/04-CL. V] JITESH KHOSLA, Jt. Secy.